



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक-10/नि0 (ब0पा0) 01/2023 2603(A) दिनांक- 10/08/2023

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में (20 बकरी+1 बकरा क्षमता, 40 बकरी+2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु।

"कार्यान्वयन अनुदेश"

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र सं0- 6 एस0एस0 (6) 42/ 2014-2322, दिनांक- 08.06.2023 के द्वारा कुल रूपये 1293.44 लाख (बारह करोड़ तिरानवे लाख चौवालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजना अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना लागत पर सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60 प्रतिशत अनुदान एवं प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका-14 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जाता है :-

1. उद्देश्य :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देना एवं उन्नत नस्ल के बकरी/बकरा के उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही बकरा/ बकरी उत्पादन से पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन करना तथा बकरी पालकों के आय में वृद्धि करना है।

2. योजना के मुख्य बिन्दु :-

(i) राज्य में उन्नत नस्ल के बकरी एवं बकरा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तथा राज्य में बकरी/बकरा उत्पादन से मानव उपयोग के निमित्त पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि हेतु अनुदान योजना अन्तर्गत निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी+2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना लागत पर सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60 प्रतिशत अनुदान दी जायेगी।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- (ii) Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी+2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना बिहार पशु प्रजनन नीति, 2011 में अनुशंसित नस्ल-ब्लैक बंगाल बकरी/बकरा द्वारा किया जायेगा।
- (iii) चयनित लाभुकों को बकरी फार्म कम से कम पाँच (5) वर्षों तक संचालित करना अनिवार्य होगा।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अन्तर्गत विभिन्न क्षमताओं के बकरी फार्म के इकाई लक्ष्य तथा उसके स्थापना पर अनुमानित स्थापना लागत एवं अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	लाभुक की कोटि	बकरी फार्म इकाई की क्षमता	बकरी फार्म ईकाई का लक्ष्य	अनुमानित स्थापना लागत(Insurance costसहित) (लाख रुपये में)	अनुदान की दर	अनुदान राशि (अधिकतम/लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सामान्य	20+1	90	2.42	50%	1.21
2		40+2	80	5.32	50%	2.66
3		100+5	30	13.04	50%	6.52
4	अनुसूचित जाति	20+1	115	2.42	60%	1.45
5		40+2	85	5.32	60%	3.19
6		100+5	10	13.04	60%	7.82
7	अनुसूचित जनजाति	20+1	22	2.42	60%	1.45
8		40+2	16	5.32	60%	3.19
9		100+5	05	13.04	60%	7.82

- (v) लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदकों की प्रतीक्षारत कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार कर रखी जायेगी। इन योग्य आवेदकों को आगामी समरूप योजना में सशर्त चयन किया जा सकेगा।

3. (A) Goat Farm 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी+2 बकरा क्षमता हेतु लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :-

- (i) योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जाएगा तथा योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।



- (ii) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करके इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।
- (iii) ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी का चयन पशुपालन निदेशालय द्वारा किया जायेगा। चयनित एजेंसी को भुगतान की कार्यवाही पशुपालन निदेशालय द्वारा की जायेगी।
- (iv) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर दिये गये लिंक (link) पर जाकर आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण (Registration) करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (Upload) करना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित पठनीय अनुलग्नकों (संगत विभागीय कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप) को Scan कराकर Pdf format में Soft copy तैयार किया जायेगा, जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा, जिसमें उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति एवं आवेदन आई.डी. अंकित होगा। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या एवं पासवर्ड से लॉग-इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- (vii) एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा। आवेदक सरकारी सेवा में हो तो आवेदन मान्य नहीं होगा।
- (viii) पूर्व में विभागीय स्तर से बकरी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त/ चयनित लाभुकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।
- (ix) Goat Farm 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी+2 बकरा क्षमता की स्थापना की योजना प्रत्येक जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिला स्तर पर कार्यान्वित की जायेगी।
- (x) विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने की तिथि से 30 दिनों तक आवेदन समर्पित किये जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार विज्ञापन का अवधि विस्तार/ पुनर्विज्ञापन किया जा सकेगा।
- (xi) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा जाति प्रमाण पत्र (अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना अनिवार्य होगा।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



(xii) बकरी फार्म के आवेदन हेतु वांछित भूमि (आधारभूत संरचना निर्माण एवं हरा चारा उगाने हेतु भूमि) एवं राशि (स्वलागत अथवा बैंक ऋण हेतु) निम्नवत है :-

क्र० सं०	कोटि	बकरी फार्म की क्षमता	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (रूपये में)		भूमि की आवश्यकता	हरा चारा उगाने हेतु
			स्वलागत	बैंक ऋण		
1	सामान्य जाति	20 बकरी + 1 बकरा	72,000	24,000	1800 वर्गफीट	-
2		40 बकरी + 2 बकरा	1,59,000	53,000	3600 वर्गफीट	50 डिसमिल
3	अनुसूचित जाति	20 बकरी + 1 बकरा	58,000	24,000	1800 वर्गफीट	-
4		40 बकरी + 2 बकरा	1,27,000	53,000	3600 वर्गफीट	50 डिसमिल
5	अनुसूचित जनजाति	20 बकरी + 1 बकरा	58,000	24,000	1800 वर्गफीट	-
6		40 बकरी + 2 बकरा	1,27,000	53,000	3600 वर्गफीट	50 डिसमिल

(xiii) लाभुकों को बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना निर्माण एवं हरा चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि एवं सूखा चारा की व्यवस्था स्वयं करना होगा।

(xiv) आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्धता का ब्यौरा- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate)/अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा (रु० 1000/- के Non Judicial Stamp पर) / लीज निबंधन की प्रति जमा करना होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण किया जायेगा। भूमि अपनी अथवा लीज की हो सकती है। भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 7 (सात) वर्षों के लिए भूमि लीज की अवधि शेष होना



- अनिवार्य है। लीज वाले जमीन का भी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अद्यतन लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। पैतृक भूमि होने पर सभी दावेदारों का अनापत्ति शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (xv) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बकरी फार्म (Goat Farm) का एक नजरी नक्शा भी जमा करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा नहीं जमा किये जाने की स्थिति में नजरी नक्शा जिला स्तर पर गठित "त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण -सह- जाँच समिति" को स्थल निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित भूमि पर पहुँचने हेतु पथ की सुविधा रहना आवश्यक होगा ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके।
- (xvi) कंडिका-3A(xii) में कोटिवार/ क्षमतावार स्वलागत अथवा बैंक ऋण हेतु वर्णित वांछित राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (अद्यतन बैंक पास बुक/ बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement) /बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यार्पण मूल्य (Surrender Value) इत्यादि का साक्ष्य देना अनिवार्य होगा।
- (xvii) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। लाभुक को स्वलागत से बकरी फार्म का निर्माण हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा एवं इस आवेदन की तिथि को स्वलागत के लिए वांछित राशि (कंडिका-3A(xii) के अनुसार) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य भी समर्पित करना होगा।
- (xviii) अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा। लाभुक चाहें तो बैंक से ऋण लें अथवा स्वयं व्यय का वहन करें।
- (xix) लाभुक द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न नहीं करने की स्थिति में संगत विभागीय राज्यादेश एवं कार्यान्वयन अनुदेश के साथ संलग्न **Model Project Report** ही मान्य होगा।
- (xx) चयन की योग्यता पूरा करने वाले आवेदकों के बीच लाभुक चयन करने के क्रम में स्वलागत एवं बकरी पालन में प्रशिक्षण (न्यूनतम अवधि पाँच दिनों की) प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक को बकरीपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। केवल सरकारी संस्थान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।



उपर्युक्त प्राथमिकताओं के आलोक में वरीयता सूची "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर तैयार की जाएगी।

3. (B) Goat Farm 100 बकरी+5 बकरा क्षमता हेतु लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :-

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करकर इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर किया जाएगा।

- (i) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर दिये गये लिन्क (link) पर जाकर आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण (Registration) करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (Upload) करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित पठनीय अनुलग्नकों (संगत विभागीय कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप) को Scan कराकर Pdf format में Soft copy तैयार किया जायेगा, जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा, जिसमें उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति एवं आवेदन आई.डी. अंकित होगा। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या एवं पासवर्ड से लॉग-इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- (iv) एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा। आवेदक सरकारी सेवा में हो तो आवेदन मान्य नहीं होगा।
- (v) पूर्व में विभागीय स्तर से बकरी फार्म स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त/ चयनित लाभुकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) Goat Farm 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता की स्थापना की योजना निदेशालय स्तर पर सम्पूर्ण राज्य के लिए कार्यान्वित की जायेगी।
- (vii) विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने की तिथि से 30 दिनों तक आवेदन समर्पित किये जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार विज्ञापन का अवधि विस्तार/ पुनर्विज्ञापन किया जा सकेगा।
- (viii) बकरी फार्म के आवेदन हेतु वांछित भूमि (आधारभूत संरचना निर्माण हरा चारा उगाने हेतु) एवं राशि (स्वलागत अथवा बैंक ऋण हेतु) निम्नवत है:-



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय



विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

क्र० सं०	कोटि	बकरी फार्म की क्षमता	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रुपये में)		भूमि की आवश्यकता	हरा चारा उगाने हेतु
			स्वलागत	बैंक ऋण		
1	सामान्य जाति	100 बकरी + 5 बकरा	3.91	1.30	9000 वर्गफीट	100 डिसमिल
2	अनुसूचित जाति	100 बकरी + 5 बकरा	3.12	1.30	9000 वर्गफीट	100 डिसमिल
3	अनुसूचित जनजाति	100 बकरी + 5 बकरा	3.12	1.30	9000 वर्गफीट	100 डिसमिल

- (ix) प्रस्तावित योजना के तहत बकरी फार्म के आधारभूत संरचना तथा बकरी क्रय (Insurance सहित) पर तथा लाभुक द्वारा पाँच साल तक हरा चारा उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 60 प्रतिशत अनुदान देय है। आधारभूत संरचना निर्माण, हरा चारा उगाने हेतु भूमि तथा सूखा चारा की व्यवस्था लाभुक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- (x) आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्धता का ब्यौरा- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate) /अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा (रु० 1000/- के Non Judicial Stamp पर) / लीज निबंधन की प्रति जमा करना होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण किया जायेगा। भूमि अपनी हो अथवा लीज पर ली गई हो और आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 7 (सात) वर्षों के लिए भूमि लीज की अवधि शेष होना अनिवार्य है। लीज वाले जमीन भी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अद्यतन लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। पैतृक भूमि होने पर सभी दावेदारों का अनापत्ति शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बकरी फार्म (Goat Farm) का एक नजरी नक्शा भी जमा करना अनिवार्य है।
- (xi) कंडिका-3B (viii) में कोटिवार/ क्षमतावार स्वलागत अथवा बैंक ऋण हेतु वर्णित वांछित राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (अद्यतन बैंक पास बुक/ बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement) /बैंक सावधि जमा अथवा बिमा का प्रत्यापन मूल्य (Surrender Value) इत्यादि को ऑन लाईन (Online) अपलोड करना अनिवार्य होगा।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- (xii) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। लाभुक को स्वलागत से बकरी फार्म का निर्माण हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा एवं इस आवेदन की तिथि को स्वलागत के लिए वांछित राशि (कंडिका-3B (viii) के अनुसार) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य भी समर्पित करना होगा।
- (xiii) अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा। लाभुक चाहें तो बैंक से ऋण लें अथवा स्वयं व्यय का वहन करें।
- (xiv) लाभुक द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न नहीं करने की स्थिति में संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न **Model Project Report** ही मान्य होगा।
- (xv) चयन की योग्यता पूरा करने वाले आवेदकों के बीच लाभुक चयन करने के क्रम में स्वलागत एवं बकरी पालन में प्रशिक्षण (न्यूनतम अवधि पाँच दिनों की) प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक को बकरीपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सिर्फ सरकारी संस्थान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उपर्युक्त प्राथमिकताओं के आलोक में वरीयता सूची "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर तैयार की जाएगी।

4. (A) 20 बकरी+1 बकरा एवं 40 बकरी+2 बकरा की क्षमता हेतु लाभुक की चयन प्रक्रिया :-

- (i) ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदनों की प्रारंभिक जाँच (Screening) जिला स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र एवं सभी कागजातों की प्रारंभिक जाँच (Screening) सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बैठक की तिथि की सूचना वैसे सभी आवेदकों को दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। आवेदकों की उपस्थिति में उक्त प्रारंभिक जाँच (Screening) (सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/ प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी /जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी) द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। अयोग्य पाये गये आवेदकों के द्वारा यदि त्रुटि निराकरण हेतु समय की मांग की जाती है, तो उन्हें अधिकतम एक सप्ताह का



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



समय देते हुए निस्तारण हेतु पुनः प्रारंभिक जाँच (Screening) पदाधिकारी द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसमें उन आवेदकों को वांछित कागजातों के साथ उपस्थित रहना होगा।

- (iii) त्रुटि निराकरण की बैठक में सिर्फ ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये कागजातों का ही सत्यापन किया जायेगा।
- (iv) प्रारंभिक जाँच (Screening) हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार सभी योग्य आवेदकों की प्रारंभिक सूची तैयार कर प्रपत्र-1 में जिला पशुपालन पदाधिकारी को समर्पित की जायेगी।
- (v) उक्त सूची के आलोक में संबंधित प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच कर स्थल निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-2 में जिला पशुपालन पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा।
- (vi) सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में समर्पित उक्त स्थल निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन किया जायेगा तथा आवश्यक जाँचोपरान्त आवेदक द्वारा दी गई विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न प्रपत्र-2 (क) में अपनी अनुशंसा के साथ चयन समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vii) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें संबंधित जिला के सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के वरीय पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे।
- (viii) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा प्रपत्र-2 (क) में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरान्त सभी योग्य आवेदकों की कोटि-वार वरीयता सूची निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् चयन समिति द्वारा उक्त सूची से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वरीयतानुसार कोटिवार लाभुकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा। सभी योग्य आवेदकों की कोटिवार वरीयता सूची निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :-

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (1) स्वलागत + प्रशिक्षण | - प्रथम प्राथमिकता |
| (2) स्वलागत | - द्वितीय प्राथमिकता |
| (3) बैंक ऋण + प्रशिक्षण | - तृतीय प्राथमिकता |

वरीयता क्रम आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगा अर्थात् "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में सर्वप्रथम प्रथम प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय प्राथमिकता एवं तृतीय प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। शेष आवेदकों की वरीयता उपर्युक्त वर्णित तीनों प्राथमिकताओं के पश्चात् आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगी।



- (ix) "चयन समिति" द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदकों की कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदण्ड के आधार पर तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् चयन समिति द्वारा उक्त सूची से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वरीयतानुसार कोटिवार लाभुकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदकों की प्रतिकारत कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार कर रखी जायेगी।
- (x) चयन समिति द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभुकों के चयन संबंधी स्वीकृति पत्र विहित प्रपत्र-3 में निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।
- (xi) लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले आवेदनों को बैंक ऋण स्वीकृति हेतु संबंधित बैंकों को अग्रसारित किया जाएगा।
- (xii) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 7 दिनों के अन्दर चयनित लाभुकों द्वारा विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा संपादित कर प्रपत्र - (5) में देना अनिवार्य होगा।
- (xiii) चयन के उपरान्त किन्ही कोटियों में यदि पुनः रिक्तियाँ (आवश्यकतानुसार कोटिवार आवेदन प्राप्त न होने के स्थिति में/ चयनित लाभुकों द्वारा कार्य करने में अनइच्छुक/ असमर्थ होने की स्थिति में) प्राप्त होती हैं तो आवश्यकतानुसार चयन समिति द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिकारत कोटिवार वरीयता सूची से नये लाभुकों का चयन किया जा सकेगा।

4. (B) Goat Farm 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता हेतु लाभुक की चयन प्रक्रिया :-

- (i) लाभुकों का प्रारंभिक चयन (Screening) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर पर किया जाएगा। आवेदक द्वारा समर्पित किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं सभी संलग्न कागजातों की जाँच हेतु संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली त्रि-सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा। सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के कार्यालय में पदस्थापित दो वरीयतम पदाधिकारी होंगे।
- (ii) उक्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा सभी प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। जाँच के क्रम में योग्य/अयोग्य पाये गये सभी आवेदकों को ई-मेल (Online आवेदन की स्थिति में) एवं दूरभाष के द्वारा सूचित किया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदकों को आपत्ति व्यक्त करने का एक मौका दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के अन्दर यदि किसी आवेदक के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है, तो उन्हें अधिकतम एक सप्ताह का समय देते हुए उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः स्क्रीनिंग समिति



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसमें आपत्ति किये गये अयोग्य आवेदको को उपस्थित रहना होगा। बैठक की तिथि की सूचना सभी अयोग्य पाये गये आवेदको को ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। सभी आपत्तियों का निस्तार करने के उपरान्त सभी योग्य आवेदको की जिला-वार सूची तैयार की जायेगी तथा सभी आवेदको को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी अथवा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

- (iii) तदोपरान्त, स्क्रीनिंग समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये योग्य आवेदको की प्रारंभिक सूची तैयार कर प्रपत्र-3 (ख) में जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली "त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति" को स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच इत्यादि हेतु समर्पित की जाएगी।
- (iv) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा जिला के वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक कुक्कुट पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित किया जायेगा।
- (v) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवेदक द्वारा दिये गये सभी आवश्यक कागजात/साक्ष्य के जाँचोपरान्त सभी विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न प्रपत्र-4 (क) में अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) लाभुकों के अंतिम रूप से चयन हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभिक रूप से योग्य तथा अयोग्य पाए गए सभी आवेदकों के आवेदन पत्र, संलग्न कागजात की छाया प्रति पूर्ण चेकलिस्ट के साथ एवं त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन (प्रपत्र-4 (क)) पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मूल प्रति आवेदकवार संचिका में क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में संधारित किया जायेगा।
- (vii) "चयन समिति" क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभिक रूप से योग्य पाए गए सभी आवेदकों के आवेदन पत्र, संलग्न कागजात एवं त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन (प्रपत्र-4 (क)) के आधार पर योग्य आवेदकों का चयन करेगी। चयनित योग्य आवेदकों का अंतिम रूप से चयन हेतु क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा प्रपत्र-4 (ख) में प्रतिवेदन निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनोपरान्त सभी योग्य आवेदको की कोटिवार वरीयता सूची निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :-



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| (1) स्वलागत + प्रशिक्षण | — | प्रथम प्राथमिकता |
| (2) स्वलागत | — | द्वितीय प्राथमिकता |
| (3) बैंक ऋण + प्रशिक्षण | — | तृतीय प्राथमिकता |

वरीयता क्रम आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगा अर्थात् "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में सर्वप्रथम प्रथम प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय प्राथमिकता एवं तृतीय प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। शेष आवेदकों की वरीयता उपर्युक्त वर्णित तीनों प्राथमिकताओं के पश्चात् आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगी।

(viii) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। लाभुकों के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा

- | | |
|--|----------|
| (क) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय | —अध्यक्ष |
| (ख) शोध पदाधिकारी, अवि-अजा शाखा, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना | — सदस्य |
| (ग) नोडल पदाधिकारी (बकरी विकास योजना) | — सदस्य |

(ix) इसके पश्चात् निदेशालय स्तर पर "चयन समिति" द्वारा उक्त सूची से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वरीयतानुसार कोटिवार लाभुकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदकों की प्रतिक्षारत कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार कर रखी जायेगी।

(x) चयन समिति द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत निदेशक, पशुपालन के अनुमोदन से लाभुकों के चयन संबंधी स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

(xi) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 7 दिनों के अन्दर चयनित लाभुकों द्वारा विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा कर प्रपत्र - (5) में देना अनिवार्य होगा।

(xii) आगे अगर किन्ही कोटियों में रिक्तियाँ (आवश्यकतानुसार कोटिवार आवेदन प्राप्त न होने के स्थिति में/ चयनित लाभुकों द्वारा कार्य करने में अनइच्छूक/ असमर्थ होने की स्थिति में) प्राप्त होती हैं तो आवश्यकतानुसार चयन समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कोटिवार वरीयता सूची से नये लाभुकों का चयन किया जा सकेगा।



5. Goat Farm का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :-

- (i) **Goat Farm 20 बकरी +1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी + 2 बकरा**—सामान्य जाति कोटि के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। 20 बकरी +1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता योजना अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40 प्रतिशत कमशः अधिकतम रू0 48,400/- तथा अधिकतम रू0 1,06,400/- का भुगतान आधारभूत संरचना निर्माण के पश्चात् किया जाएगा। द्वितीय किस्त के रूप में शेष अर्थात् अनुदान राशि का 60 प्रतिशत कमशः अधिकतम रू0 72,600/- तथा अधिकतम रू0 1,59,600/- का भुगतान बकरा/बकरी का क्रय के पश्चात् किया जाएगा।
- (ii) **Goat Farm 20 बकरी +1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी + 2 बकरा**—अनुसूचित जाति कोटि एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 60 प्रतिशत अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। 20 बकरी +1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता योजना अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40 प्रतिशत कमशः अधिकतम रू0 58,000/- तथा अधिकतम रू0 1,27,600/- का भुगतान आधारभूत संरचना निर्माण के पश्चात् किया जाएगा। द्वितीय किस्त के रूप में शेष अर्थात् अनुदान राशि का 60 प्रतिशत कमशः अधिकतम रू0 87,000/- तथा अधिकतम रू0 1,91,400/- का भुगतान बकरा/बकरी का क्रय के पश्चात् किया जाएगा।
- (iii) **Goat Farm 100 बकरी + 5 बकरा** सामान्य जाति कोटि के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की राशि दो किस्तों में किया जाएगा। 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता योजना अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 2,60,800/-—आधारभूत संरचना निर्माण के पश्चात् किया जाएगा। द्वितीय किस्त के रूप में शेष अर्थात् अनुदान राशि का 60 प्रतिशत कमशः अधिकतम रू0 3,91,200/- का भुगतान बकरा/बकरी का क्रय के पश्चात् किया जाएगा।
- (iv) **Goat Farm 100 बकरी + 5 बकरा** अनुसूचित जाति कोटि एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 60 प्रतिशत अनुदान किया जाएगा। 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता योजना अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 3,12,800/-—आधारभूत संरचना निर्माण के पश्चात् किया जाएगा। द्वितीय किस्त के रूप में शेष अर्थात् अनुदान राशि का 60 प्रतिशत कमशः अधिकतम रू0 4,69,200/- का भुगतान बकरा/बकरी का क्रय के पश्चात् किया जाएगा।
- (v) लाभुक के द्वारा एकरारनामा (प्रपत्र - 5) समर्पित करने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न **Model Project Report** के अनुरूप 60 दिनों के



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



अन्दर बकरी फार्म (GoatFarm)के आधारभूत संरचना का निर्माण कर लिया जायेगा। बकरी फार्म निर्माण संलग्न प्रोजेक्ट के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल में किया जायेगा। शेड निर्माण में पक्का फर्श एवं दिवाल के उपर लोहे की मोटी जाली, सीमेन्ट, छड़ एवं गिट्टी या ईट का प्लास्टर पीलर तथा छत में लोहे का ट्रस एवं छत एस्बेस्ट्स या सी0जी0 आई0 शीट या टिन/ फाईवरशीट का उपयोग होगा। इसके पश्चात् अगले 15 दिनों में बकरी/बकरा का क्रय कर विधिवत् फार्म का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vi) बकरी फार्म (GoatFarm)के लिए बकरी/बकरा का क्रय "क्रय समिति" के समक्ष राज्य के अन्दर पशु हाटों एवं मेलों में किया जाएगा। क्रय के उपरान्त खरीदे गये बकरी/बकरा के साथ लाभुक का फोटोग्राफी होना अनिवार्य होगा।

(vii) क्रय समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सदस्य के रूप में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) अथवा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) के साथ संबंधित बैंक प्रबंधक (बैंक ऋण की स्थिति में) या उनके प्रतिनिधि होंगे।

(viii) बकरी फार्म (GoatFarm)के आधारभूत संरचना का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् लाभुक के द्वारा प्रथम किस्त के अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र- (6) में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (GoatFarm) के आधारभूत संरचना के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा प्रथम किस्त के अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के अंदर स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी। स्थल निरीक्षण के समय त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति के सदस्य के साथ लाभुक एवं बकरी फार्म के आधारभूत संरचना का अन्दर एवं बाहर से रंगीन फोटोग्राफी कराना अनिवार्य है।

(x) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा बकरी फार्म (आधारभूत संरचना निर्माण) का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा के साथ स्थल निरीक्षण-सह-जाँच



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



प्रतिवेदन प्रपत्र— 7 (भाग—क) रंगीन फोटोग्राफ सहित (जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित) संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति का अनुदान हेतु स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-7 (भाग-क) एवं अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन अपनी स्वीकृति के उपरान्त प्रपत्र-7 (भाग-ख) को जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत अनुदान की अनुमान्य राशि का भुगतान हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को पत्र (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्रेषित किया जायेगा। बी0एल0डी0ए0, पटना से अनुदान की राशि प्राप्त होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) के माध्यम से अनुदान की राशि भुगतान की जायेगी।

(xii) एकरारनामा (प्रपत्र - 5) सम्पादित करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना का निर्माण पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे। आधारभूत संरचना का निर्माण मॉडल प्रोजेक्ट के अनुसार किया जाएगा।

(xiii) बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना एवं बकरी क्रय का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लाभुक के द्वारा द्वितीय किस्त के अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र प्रपत्र— (6) में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (क्रय किये गये बकरियों सहित) का रंगीन फोटोग्राफ एवं बकरी क्रय रसीद साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(xiv) हरा चारा हेतु अनुदान की राशि का भुगतान पाँच वार्षिक किस्तों में किया जाएगा।

(xv) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा द्वितीय किस्त के अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के अंदर स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी। स्थल निरीक्षण के समय त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति के सदस्य के साथ लाभुक एवं बकरी फार्म (क्रय किये गये बकरियों सहित) बकरी फार्म का फोटोग्राफी कराना अनिवार्य है।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- (xvi) त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा के साथ स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र- 7(क) बकरी फार्म (क्रय किये गये बकरियों सहित) का रंगीन फोटोग्राफ एवं बकरी क्रय रसीद साक्ष्य सहित (जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित) संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xvii) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति का अनुदान हेतु स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-7 (भाग-क) एवं अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन अपनी स्वीकृति के उपरान्त प्रपत्र-7 (भाग-ख) को जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत अनुदान की अनुमान्य राशि का भुगतान हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को पत्र (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्रेषित किया जायेगा। बी0एल0डी0ए0, पटना से अनुदान की राशि प्राप्त होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) के माध्यम से अनुदान की राशि भुगतान की जायेगी।
- (xviii) लाभुक को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान बैंक ऋण की स्थिति में लाभुक के ऋण खाता एवं स्वलागत की स्थिति में लाभुक के बैंक खाता में किया जायेगा।
- (xix) अनुदान का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) द्वारा किया जायेगा जिसकी प्राप्ति का साक्ष्य संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अपने कार्यालय में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुदान भुगतान के साक्ष्य की प्रति निदेशालय को भी विधिवत् रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xx) संगत राज्यादेश की कंडिका-8 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना के पी0एल0 खाता सं0 PBBPLA028 में अंतरित किया जायेगा तथा कार्यान्वयन करने हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



6. लक्ष्य :-

संगत राज्यादेश के अनुलग्नक-4 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 बकरी+01 बकरा की क्षमता एवं 40 बकरी+ 2 बकरा क्षमता में जिला-वार/कोटि-वार लक्ष्य (लाभुकों की संख्या) का निर्धारण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	सामान्य घटक				अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक				जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता		20 + 1 क्षमता		40 + 2 क्षमता	
		भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रु० लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रु० लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रु० लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रु० लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रु० लाख में)	भौतिक लक्ष्य	अनुदान की राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	5	6.05	3	7.98	6	8.70	5	15.95	1	1.45	1	3.19
2	नालन्दा	3	3.63	3	7.98	4	5.80	4	12.76	0	0.00	0	0.00
3	मोजपुर	2	2.42	2	5.32	3	4.35	2	6.38	0	0.00	0	0.00
4	रोहतास	3	3.63	2	5.32	4	5.80	3	9.57	1	1.45	1	3.19
5	बक्सर	3	3.63	1	2.66	2	2.90	1	3.19	0	0.00	0	0.00
6	कैमूर	2	2.42	1	2.66	3	4.35	2	6.38	1	1.45	1	3.19
7	गया	4	4.84	4	10.64	7	10.15	6	19.14	1	1.45	0	0.00
8	जहानाबाद	2	2.42	1	2.66	1	1.45	1	3.19	0	0.00	0	0.00
9	नवादा	2	2.42	2	5.32	3	4.35	3	9.57	1	1.45	0	0.00
10	औरंगाबाद	2	2.42	3	7.98	3	4.35	4	12.76	0	0.00	0	0.00
11	अरवल	1	1.21	1	2.66	1	1.45	1	3.19	0	0.00	0	0.00
12	भागलपुर	2	2.42	3	7.98	3	4.35	1	3.19	2	2.90	1	3.19
13	बांका	2	2.42	2	5.32	2	2.90	2	6.38	2	2.90	1	3.19
14	मुंगेर	1	1.21	1	2.66	2	2.90	1	3.19	0	0.00	1	3.19
15	लखीसराय	1	1.21	1	2.66	1	1.45	1	3.19	0	0.00	0	0.00
16	जमुई	2	2.42	1	2.66	2	2.90	2	6.38	1	1.45	0	0.00
17	शेखपुरा	1	1.21	0	0.00	1	1.45	1	3.19	0	0.00	1	3.19
18	खगड़िया	1	1.21	1	2.66	2	2.90	1	3.19	0	0.00	0	0.00
19	मुजफ्फरपुर	5	6.05	4	10.64	6	8.70	4	12.76	1	1.45	0	0.00



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



20	हाजीपुर (वैशाली)	4	4.84	3	7.98	6	8.70	4	12.76	1	1.45	1	3.19
21	मोतिहारी	3	3.63	3	7.98	5	7.25	3	9.57	1	1.45	0	0.00
22	सीतामढ़ी	3	3.63	3	7.98	4	5.80	2	6.38	0	0.00	0	0.00
23	शिवहर	1	1.21	1	2.66	1	1.45	1	3.19	0	0.00	0	0.00
24	बेतिया	3	3.63	3	7.98	4	5.80	2	6.38	1	1.45	0	0.00
25	दरभंगा	4	4.84	3	7.98	5	7.25	4	12.76	1	1.45	0	0.00
26	मधुबनी	3	3.63	4	10.64	4	5.80	3	9.57	0	0.00	0	0.00
27	समस्तीपुर	4	4.84	3	7.98	6	8.70	4	12.76	0	0.00	0	0.00
28	बेगूसराय	2	2.42	2	5.32	3	4.35	2	6.38	0	0.00	0	0.00
29	पूणियाँ	3	3.63	3	7.98	3	4.35	2	6.38	1	1.45	2	6.38
30	कटिहार	3	3.63	3	7.98	2	2.90	1	3.19	1	1.45	2	6.38
31	अररिया	2	2.42	1	2.66	3	4.35	2	6.38	1	1.45	0	0.00
32	किशनगंज	1	1.21	1	2.66	1	1.45	1	3.19	0	0.00	1	3.19
33	सहरसा	1	1.21	1	2.66	1	1.45	1	3.19	0	0.00	1	3.19
34	मधेपुरा	1	1.21	1	2.66	2	2.90	1	3.19	1	1.45	0	0.00
35	सुपौल	1	1.21	1	2.66	2	2.90	1	3.19	1	1.45	0	0.00
36	छपरा	3	3.63	3	7.98	2	2.90	2	6.38	1	1.45	0	0.00
37	सीवान	2	2.42	2	5.32	2	2.90	2	6.38	1	1.45	1	3.19
38	गोपालगंज	2	2.42	2	5.32	2	1.45	2	6.38	0	0.00	0	0.00
	कुल योग	90	108.90	80	212.80	115	166.75	85	271.15	22	31.90	16	51.04

संगत राज्यादेश के अनुलग्नक-4 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता के बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना पर सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60 प्रतिशत अनुदान तथा चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना हेतु कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है:-



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



क्र० सं०	कोटि	बकरी फार्म की क्षमता	प्रति बकरी फार्म अनुदान की राशि (लाख रुपये में)	भौतिक लक्ष्य (बकरी फार्म की संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)						
					3106 सहायक अनुदान -गैर वेतन	1301 कार्यालय व्यय	1601 प्रकाशन एवं मुद्रण	2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	2003 प्रशिक्षण व्यय	2601 विज्ञापन और प्रकाशन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सामान्य	20+1	2.42	90	108.90	10.00	1.00	4.00	15.00	3.00	550.00
		40+2	5.32	80	212.80						
		100+5	13.04	30	195.60						
		योग	-	200	517.30	10.00	1.00	4.00	15.00	3.00	550.00
2	अनुसूचित जाति	20+1	2.42	115	166.75	25.00	10.00	5.00	25.00	10.00	591.10
		40+2	5.32	85	271.15						
		100+5	13.04	10	78.20						
		योग	-	210	516.10	25.00	10.00	5.00	25.00	10.00	591.10
3	अनुसूचित जनजाति	20+1	2.42	22	31.90	15.00	2.00	1.00	10.00	2.00	152.04
		40+2	5.32	16	51.04						
		100+5	13.04	5	39.10						
		योग	-	43	122.04	15.00	2.00	1.00	10.00	2.00	152.04
कुल योग	-	-	453	1155.44	50.00	13.00	10.00	50.00	15.00	1293.44	

7. योजना का अनुश्रवण/अन्यान्य:-

- जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।
- पशुपालन निदेशालय द्वारा जिला-वार लाभुकों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड (Upload) की जायेगी तथा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- (iii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को बकरी फार्म (GoatFarm) का मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (iv) जिला अन्तर्गत स्थापित होने वाले बकरी फार्म के बकरा-बकरी की स्वास्थ्य जाँच तथा तकनीकी परामर्श संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार नियमित रूप से किया जाएगा।
- (v) संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति में बकरी/बकरा का स्वास्थ्य जाँच, पीपीआर टीकाकरण Insurance तथा Ear-tagging की कार्रवाई की जायेगी।
- (vi) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।
- (vii) आवेदक का कृषि विभाग के MIS पोर्टल पर निबंधित होना आवश्यक है।
- (viii) जिला तथा प्रखंड स्तर पर किसान गोष्ठी/कार्यशाला, मोबाईल एलसीडी के माध्यम से बकरी पालन का विडियो का पंचायतों में प्रसारण, इत्यादि द्वारा पशुपालकों में तकनीकी बकरी पालन एवं लाभ के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।
- (ix) पशुपालकों के बीच जागरूकता सामग्रियों यथा :- पुस्तिका, लिफलेट, पम्पलेट, कैलेंडर इत्यादि का वितरण किया जाएगा।
- (x) विभिन्न क्षमता के बकरी फार्म हेतु चयनित लाभुकों को राज्य में तथा राज्य के बाहर उपलब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में बकरी पालन, तकनीकी प्रबंधन एवं पशु पोषण, रोग तथा निदान इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण कराया जाएगा।
- (xi) राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर योजना का पूर्णरूपेण प्रचार-प्रसार कर ऑन लाईन (On line) आवेदन प्राप्त किया जायगा।
- (xii) लक्ष्य एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में आवेदकों का चयन किया जाएगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। चयनित लाभुक द्वारा कम से कम पाँच वर्षों तक बकरी फार्म का संचालन किया जाएगा।
- (xiii) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(नवदीप शुक्ला)

निदेशक, पशुपालन।



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



ज्ञापांक- 10 नि (ब0पा0)01/2023. 2603(A)/पटना-15, दिनांक- 10/08/2023

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मौर्यालोक, बी0 ब्लॉक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।



पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 20 बकरी+ 01 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता एवं 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु।

मॉडल आवेदन पत्र

- बकरी इकाई की क्षमता हेतु आवेदन - (क) 20 बकरी + 01 बकरा की क्षमता -
(ख) 40 बकरी + 02 बकरा की क्षमता -
(ग) 100 बकरी + 05 बकरा की क्षमता -

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का
स्व-अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ।

1. आवेदक का नाम :-.....
2. पिता / पति (जो लागू ना हो उसे काट दे) का नाम :-.....

3. जन्म तिथि :-

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

4. उम्र (पूर्ण वर्षों में) :- वर्ष

5. आधार संख्या :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. पैन कार्ड :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. वोटर आई डी0 :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. शैक्षणिक योग्यता :-.....

9. पेशा :-.....

10. कोटि :- (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

(क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

11. स्थायी पता :-



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



ग्राम- पो-

थाना - प्रखंड -

पिन कोड - जिला -

12. दूरभाष/मोबाईल नं० :-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग बकरी फार्म की स्थापना के लिए किया जाना है)

(क) निजी - (ख) पैतृक - (ग) लीज - (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

नोट :- 1. पैतृक भूमि होने की स्थिति में सभी हिस्सेदारों से अनापति शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. लीज (कम से कम सात वर्ष) एकरारनामा में यह दर्शाना होगा की यह भूमि बकरी फार्म खोलने के लिये लिया गया है। लीज की जमीन का भी भू - स्वामित्व प्रमाण पत्र / अद्यतन लगान रसीद जमा करना अनिवार्य होगा। चयनोपरांत लीज को निबंधित कराना अनिवार्य है।

(भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ अद्यतन लगान रसीद/ लीज एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करें)

(क) खाता :-

(ख) खेसरा :-

(ग) रकबा (डेसीमल में) :-

(घ) जिला मुख्यालय से दूरी :-(किमी०)

(ङ) मौजा :-

(च) ग्राम :-

(छ) थाना न० :-

(ज) थाना :-

(झ) प्रखंड :-

(ञ) जिला :-

(20 बकरी + 01 बकरा क्षमता हेतु शेड निर्माण के लिये 600 वर्ग फीट एवं खुला जगह 1200 वर्ग फीट अर्थात कुल 1800 वर्ग फीट, 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता हेतु शेड निर्माण के लिये 1200 वर्ग फीट एवं खुला जगह 2400 वर्ग फीट अर्थात कुल 3600 वर्ग फीट तथा हरा चारा उगाने हेतु 50 डिसमिल भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है एवं 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता हेतु शेड निर्माण के लिये 3000 वर्ग फीट एवं खुला जगह 6000 वर्ग फीट अर्थात कुल 9000 वर्ग फीट तथा हरा चारा उगाने हेतु 100 डिसमिल भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है।)



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



14. बकरी फार्म हेतु राशि का विवरण

(क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशि :-

योजना का प्रकार	प्रोजेक्ट की राशि	सही बॉक्स में ✓ लगायें
20 बकरी + 01 बकरा	₹ 242000.00	<input type="checkbox"/>
40 बकरी + 02 बकरा	₹ 532000.00	<input type="checkbox"/>
100 बकरी + 05 बकरा	₹ 1304000.00	<input type="checkbox"/>

(ख) आवेदक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रकार :-

स्वलागत - बैंक ऋण -

(सही बॉक्स में ✓ लगायें)

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करे/संलग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया "मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट" ही मान्य होगा)

(ग) अनुदान की राशि :-

योजना का प्रकार	कोटिवार अनुदान की अधिकतम राशि	
	सा0 जा0	अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0
20 बकरी + 01 बकरा	<u>कुल अनुदानित राशि - ₹ 1,21,000.00</u> प्रथम किस्त की राशि - ₹48,400.00 द्वितीय किस्त की राशि - ₹72,600.00	<u>कुल अनुदानित राशि - ₹1,45,000.00</u> प्रथम किस्त की राशि - ₹ 58,000.00 द्वितीय किस्त की राशि - ₹87,000.00
40 बकरी + 02 बकरा	<u>कुल अनुदानित राशि - ₹2,66,000.00</u> प्रथम किस्त की राशि - ₹1,06,400.00 द्वितीय किस्त की राशि - ₹1,59,600.00	<u>कुल अनुदानित राशि - ₹3,19,000.00</u> प्रथम किस्त की राशि - ₹1,27,600.00 द्वितीय किस्त की राशि - ₹1,91,400.00
100 बकरी + 05 बकरा	<u>कुल अनुदानित राशि - ₹6,52,000.00</u> प्रथम किस्त की राशि - ₹2,60,800.00 द्वितीय किस्त की राशि - ₹3,91,200.00	<u>कुल अनुदानित राशि - ₹7,82,000.00</u> प्रथम किस्त की राशि - ₹3,12,800.00 द्वितीय किस्त की राशि - ₹4,69,200.00



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



(घ) आवेदक के स्तर से व्यय की जाने वाली वांछित राशि का विवरण :-

क्र०सं०	बकरी फार्म की क्षमता	वित्तीय व्यवस्था का प्रकार	सा० जा०	अनु० जा० / अनु० ज० जा०
1	20 बकरी + 01 बकरा	स्वलागत	₹ 72,000.00	₹ 58,000.00
		बैंक ऋण	₹ 24,000.00	₹ 24,000.00
2	40 बकरी + 02 बकरा	स्वलागत	₹ 1,59,000.00	₹ 1,27,000.00
		बैंक ऋण	₹ 53,000.00	₹ 53,000.00
3	100 बकरी + 05 बकरा	स्वलागत	₹ 3,91,000.00	₹ 3,12,000.00
		बैंक ऋण	₹ 1,30,000.00	₹ 1,30,000.00

(ङ) आवेदन के समय आवेदक के स्तर से व्यय की जाने वाली वांछित राशि के साक्ष्य का विवरण :-

क्र० सं०	खाताधारक का नाम	खाताधारक से संबंध (माता/पिता /पति/पत्नी)	साक्ष्य का विवरण (बचत खाता/RD/LIC इत्यादि)	खाता का अनन्य संख्या	आवेदन की तिथि को उपलब्ध राशि
1					
2					
3					

(आवेदक के द्वारा वांछित राशि के साक्ष्य हेतु स्वयं के अलावा किसी संबंधी (केवल माता, पिता, पति एवं पत्नी) के खाते की विवरणी देने पर संबंधी द्वारा अनापति शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।)

(च) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंक की विवरणी :-

क्र० सं०	बैंक का नाम	शाखा	बैंक का पता	ऋण की राशि
1				



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



15. बकरीपालन में किसी सरकारी संस्थान से न्यूनतम पाँच दिनों का प्रशिक्षण :- हाँ नही
यदि हाँ तो, बकरीपालन में प्राप्त प्रशिक्षण की विवरणी :-

	संस्था का नाम एवं पता	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	प्रशिक्षण का विवरण
1			

(साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

16. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :-

क्र० सं०	बैंक का नाम	शाखा	खाता संख्या	आई० एफ० एस० सी०
1				

(बैंक ऋण की स्थिति में उपर्युक्त विवरणी ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण खाता के संदर्भ में अलग से समर्पित की जाएगी एवं अनुदान राशि ऋण खाते में ही देय होगी।)

17. अनुलग्नक :- (आवेदन पत्र के साथ समर्पित दस्तावेजों के नाम के सामने बॉक्स में ✓ लगायें)

(क) आवेदक का फोटोग्राफ।

(ख) पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई० डी०, पैन कार्ड) की छाया प्रति।

(ग) आवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(घ) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

(ङ) बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ एवं आवेदन की तिथि की राशि का पृष्ठ)।

(च) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / अद्यतन लगान रसीद / लीज एकरारनामा की छाया प्रति।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



(छ) भूमि के नजरी नक्शा की प्रति।

(ज) बकरी फार्म स्थापना के लिये लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य।

(झ) बकरी पालन का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य।

(ञ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। मेरे द्वारा पूर्व में विभाग की तरफ से बकरी फार्म की स्थापना हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है। पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा / बकरी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म की स्थापना (20 बकरी + 01 बकरा, 40 बकरी + 02 बकरा एवं 100 बकरी + 05 बकरा) पर अनुदान की योजना के लिए निर्धारित सभी शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

तिथि :-/...../...../

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

कार्यालय उपयोग हेतु।

(संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम :-

2. ऑनलाईन GENERATE आई0 डी0 संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. आवेदन प्राप्ति की तिथि :-

0	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

4. आवेदन प्राप्ति का समय :-

H	H	M	M	S	S	A/P	M
---	---	---	---	---	---	-----	---



प्रपत्र-1

जिला पशुपालन कार्यालय.....

(जिला पशुपालन कार्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग कर तैयार किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्र में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा एवं 40 बकरी + 2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना में चयन हेतु प्राप्त आवेदन का जाँच पत्र

बकरी इकाई की क्षमता : (क) 20 बकरी + 01 बकरा (ख) 40 बकरी + 02 बकरा

1- आवेदक का नाम

2-आई. डी. संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3- कोटि :- (सही बाक्स में ✓ लगायें)

(क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

4- आवेदक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रकार :- (सही बाक्स में ✓ लगायें)

स्वलागत - बैंक ऋण -

पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :

..... प्रखंड : पिन कोड : : जिला

.....द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी+2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है/आवेदन पत्र में निम्नांकित आपत्ति पायी गयी है (जो लागू न हों उसे काट दें) :-

(1)



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



(ii)

(iii)

आवेदक द्वारा उक्त आपति के निराकरण हेतु साक्ष्य समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि/समय दिनांक-.....के
5.00 बजे अप0 तक निर्धारित की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित की गई आपतियों की सुनवाई दिनांक-..... को
..... बजे पूर्वा0/अप0 में की जायेगी जिसमें आवेदक को स्वयं उपस्थित रहना होगा। (आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने की स्थिति
में भरा जायेगा)

आवेदक का हस्ताक्षर

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी /

प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/

जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी।



प्रपत्र-2

कार्यालय :- प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी,

(स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में 20 बकरी+1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी +2 बकरा की क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का योजना में लाभुक के चयन हेतु

प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन

बकरी इकाई की क्षमता : (क) 20 बकरी + 01 बकरा (ख) 40 बकरी + 02 बकरा

1- आवेदक का नाम

2-आई. डी. संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3- कोटि :- (सही बाक्स में ✓ लगायें)

(क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

4- आवेदक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रकार :- (सही बाक्स में ✓ लगायें)

स्वलागत - बैंक ऋण -

पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :

..... प्रखंड : पिन कोड : : जिला.....

.....द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी+2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना"का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

क



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- 1- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। जो लागू न हो उसे काट दें
- 2- आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- 3-आवेदक को "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में बकरी + बकरा क्षमता की स्थापना" पर अनुदान की योजना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है/ निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें):-

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखण्ड पशुपालन
पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखण्ड पशुपालन
पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी



प्रपत्र-2 (क)

कार्यालय :- जिला पशुपालन पदाधिकारी,

(स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित जिला स्तरीय चयन समिति को समर्पित किया जाएगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में 20 बकरी+1 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी +2 बकरा की क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का योजना में आवेदकों के चयन हेतु

जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण-सह-जाँच का सत्यापन प्रतिवेदन

बकरी इकाई की क्षमता : (क) 20 बकरी + 01 बकरा (ख) 40 बकरी + 02 बकरा

1- आवेदक का नाम

2-आई. डी. संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3- कोटि :- (सही बाक्स में ✓ लगायें)

(क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

4- आवेदक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रकार :- (सही बाक्स में ✓ लगायें)

स्वलागत - बैंक ऋण -

पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :
प्रखंड : पिन कोड : : जिला

.....द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+1 बकरा, 40 बकरी+2 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



- 1- प्रखण्ड स्तरीय जॉच पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- 2 में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। जो लागू न हो उसे काट दें।
- 2- आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- 3- आवेदक को "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में बकरी + बकरा क्षमता की स्थापना" पर अनुदान की योजना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है/निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें):-

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

जिला पशुपालन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

जिला पशुपालन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



महाशय/महाशया,

उर्पयुक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 20 बकरी + 01 बकरा क्षमता एवं 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत आपको निम्नांकित शर्तों के अधीन चयनित किया जाता है :-

- i. आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आपके द्वारा बकरी + बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना की जायेगी, जिसके आधार पर आपको विभागीय संगत कार्यान्वयन अनुदेश पर अनुमान्य अनुदान दिया जायेगा।
- ii. इस स्वीकृति पत्र के निर्गत होने के 07 दिनों के अन्दर आपको विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा सम्पादित (प्रपत्र-5) करना अनिवार्य होगा।
- iii. एकरारनामा (प्रपत्र-5) सम्पादित करने के उपरान्त आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 60 दिनों के अन्दर बकरी फार्म का निर्माण (आधारभूत संरचना/बकरा-बकरी का क्रय इत्यादि) कर लिया जायेगा।
- iv. बकरी फार्म का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना आपके द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।
- v. एकरारनामा (प्रपत्र-5) सम्पादित करनेकी तिथि से 60 दिनों के अंदर बकरी फार्म का निर्माण नहीं करने की स्थिति में आपका स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- vi. आपको अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा दो किस्तों में किया जायेगा।
- vii. आपके द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र-6) में जिला पशुपालन कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म के साथ आपका रंगीन फोटोग्राफ (फार्म के अन्दर एवं बाहर/ क्रय किये गये बकरियों सहित) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- viii. आपके द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करने के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय आपका स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।
- ix. त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरांत संतुष्ट होने के पश्चात् आपको अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं अनुदान हेतु जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र-7 भाग-क) (बकरी फार्म के रंगीन फोटोग्राफ/कय किये गये बकरियों सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- x. निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-7 (भाग-क) एवं अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन अपनी स्वीकृति के उपरान्त प्रपत्र-7 (भाग-ख) को जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत अनुदान की अनुमान्य राशि का भुगतान हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को पत्र (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्रेषित किया जायेगा। बी0एल0डी0ए0, पटना से अनुदान की राशि प्राप्त होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT)के माध्यम से अनुदान की राशि भुगतान की जायेगी।

- xi. लाभुक को बकरी फार्म कम से कम पाँच (5) बर्षों तक संचालित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर लाभुक पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- xii. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-...../

दिनांक -...../

प्रतिलिपि :-जिला पशुपालन पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



प्रपत्र-3 (ख)

जिला पशुपालन कार्यालय,

(स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को समर्पित किया जाएगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु।

त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति का जाँच प्रतिवेदन

बकरी इकाई की क्षमता : (क) 100 बकरी + 05 बकरा

आवेदक का नाम :-

1. आई0 डी0 संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. कोटि :- (क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

3. आवेदक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रकार :

स्वलागत - बैंक ऋण - (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

4. पिता / पति का नाम :-

5. ग्राम - पो0-

थाना - प्रखंड -

पिन कोड - जिला - द्वारा

"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

i. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। (जो लागू न हो उसे काट दें)

ii. आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। (जो लागू न हो उसे काट दें)



बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



iii. आवेदक को "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में बकरी +
..... बकरा क्षमता की स्थापना" पर अनुदान की योजना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है /
निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें): -
.....
.....

भ्रमणशील पशु चिकित्सा
पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक
कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल
पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य
चिकित्सक (जो भी वरीय हों)

जिला पशुपालन पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर।

ज्ञापांक :-/

दिनांक :-/

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पशुपालन पदाधिकारी.....



प्रपत्र-4 (क)

क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय.....

(क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन का जाँच पत्र

1. आवेदक का नाम :-

2. आई0 डी0 संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. कोटि :- (क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

4. आवेदक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रकार :

स्वलागत - बैंक ऋण - (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

5. पिता / पति का नाम :-

6. ग्राम - पो0-

थाना - प्रखंड -

पिन कोड - जिला -

.....द्वारा "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है/ आवेदन पत्र में निम्नांकित आपत्ति पायी गयी है (जो लागू न हों उसे काट दें) :-

i.

ii.

iii.



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



आवेदक द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु आवश्यक साक्ष्य समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि/समय दिनांक-.....
..... के 5.00 बजे अप० तक निर्धारित की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित की गई आपत्तियों की
सुनवाई दिनांक-..... को बजे पूर्वा०/अप० में की जायेगी जिसमें आवेदक को स्वयं
उपस्थित रहना होगा। (आवेदन पत्र में आपत्तिपाये जाने की स्थिति में भरा जायेगा)

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय	क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय	(क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन)
के वरीय पदाधिकारी	के वरीय पदाधिकारी	



प्रपत्र-4 (ख)

क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय.....

(क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय द्वारा पशुपालन निदेशालय को समर्पित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता की स्थापना पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

अंतिम रूप से चयन हेतु अनुशंसा पत्र

1. आवेदक का नाम :-

2. आई0 डी0 संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. कोटि :- (क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

4. आवेदक के द्वारा योजना को पूर्ण करने हेतु अनुदान के अतिरिक्त राशि की (वित्तीय) व्यवस्था का प्रकार :

स्वलागत - बैंक ऋण - (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

5. पिता / पति का नाम :-

6. ग्राम - पो0-

थाना - प्रखंड -

पिन कोड - जिला -

द्वारा "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी, की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक.....दिनांक.....) (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में अंतिम रूप से चयन करने हेतु अनुशंसा की जाती है/ निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें): -

.....

.....

.....

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



ज्ञापांक-...../ दिनांक -...../

प्रतिलिपि :-निदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।



प्रपत्र-5

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 20 बकरी+ 01 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता एवं 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

एकरारनामा

(1000/- रुपये (एक हजार) के ननज्यूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर)

1. यह एकरारनामा पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं श्री/श्रीमती
..... (बकरी फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) के बीच आज दिनांक- को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में संपादित (Execute) किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या-6 एस0एस0 (6) 42/ 2014- 2322, दिनांक- 08.06.2023 के क्रम में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में Goat Farm (20 बकरी+ 01 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता एवं 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/पशुपालन निदेशालय के पत्रांक-..... दिनांक-..... द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के आलोक में श्री
..... (बकरी फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) को
..... (जिस स्थान पर बकरी फार्म स्थापित किया जाना है, उसका पूरा पता) में Goat Farm की स्थापना करने हेतु चयनित किया गया है।
3. यह कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों (नियम एवं शर्तों) के अनुरूप Goat Farm के संस्थापक द्वारा Goat Farm का स्थापना एवं संचालन किया जाएगा।



4. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न Model Project Report के अनुरूप 60 दिनों के अन्दर बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना का निर्माण कर लिया जायेगा। शेड निर्माण में पक्का फर्श एवं दिवाल के उपर लोहे की मोटी जाली, सीमेन्ट, छड़ एवं गिट्टी या ईट का प्लास्टर पीलर तथा छत में लोहे का ट्रस एवं छत एस्बेस्ट्स या सी0जी0 आई0 शीट या टिन/ फाईवरशीट का उपयोग होगा। इसके पश्चात् अगले 15 दिनों में बकरी/बकरा का क्रय कर विधिवत् फार्म का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जाएगी। एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बकरी फार्म (Goat Farm)के आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
6. लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र-6) में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के अन्दर स्थल निरीक्षण किया जाएगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा पूरे बकरी फार्म के विधिवत् रूप से फोटोग्राफी कर ली जाएगी।
8. त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण-सह-जाँच समिति द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात स्थल निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र-7 क) (बकरी फार्म के फोटोग्राफ सहित) के साथ लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5/11



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



9. निरीक्षण-सह-जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र-7 (भाग-क) एवं अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन अपनी स्वीकृति के उपरान्त प्रपत्र-7 (भाग-ख) को जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत अनुदान की अनुमान्य राशि का भुगतान हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को पत्र (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्रेषित किया जायेगा। बी0एल0डी0ए0, पटना से अनुदान की राशि प्राप्त होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT)के माध्यम से अनुदान की राशि भुगतान की जायेगी।
10. लाभुक को अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा।
11. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिए प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. किसी प्रकार का वैधानिक मामला जिला-पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर,

लाभुक/बकरी फार्म के

नाम एवं पदनाम

संस्थापक का हस्ताक्षर एवं पूरा पता

नाम डा०

श्री

जिला पशुपालन पदाधिकारी

.....

दो गवाहों का हस्ताक्षर

दो गवाहों का हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)

(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)

1

1

2

2



प्रपत्र - 6

वित्तीय वर्ष 2023-24 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 20 बकरी+ 01 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता एवं 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान राशि की प्रथम किस्त / द्वितीय किस्त प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र।

(सही बॉक्स में ✓ लगायें)

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन...../पशुपालन निदेशालय के स्वीकृति पत्र सं०..... दिनांक.....
.....के आलोक में मैं, (आवेदक का नाम)

आई० डी० संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कोटि :- (क) सामान्य जाति - (ख) अनुसूचित जाति - (ग) अनुसूचित जन जाति -

बकरी इकाई की क्षमता : (क) 20 बकरी + 01 बकरा (ख) 40 बकरी + 02 बकरा (ग) 100 बकरी + 5 बकरा

पिता/पति का नाम :-ग्राम :पोस्ट :

.....थाना : प्रखंड :जिला :

.....पिन कोड : द्वारा अनुदान की राशि प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। (जो लागू न हो उसे काट दें)



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

- (I.) मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप बकरी फार्म स्वलागत/ बैंक ऋण से (20 बकरी+1 बकरा क्षमता 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता एवं 100 बकरी + 05 बकरा) के आधारभूत संरचना का निर्माण / बकरा-बकरी का क्रय कर लिया गया है (जो लागू ना हो उसे काट दें)। प्रमाण स्वरूप बकरी फार्म के आधारभूत संरचना / क्रय किये गये बकरा - बकरी (लाभुक के साथ) का फोटोग्राफ संलग्न किया जा रहा है।
- (II.) मुझे अनुदान के रूप में रुपये (अंक में) रुपये
..... (शब्दों में) का भुगतान करने की कृपा की जाये।

अनुदान की राशि प्राप्ति हेतु बैंक की विवरणी :-

बैंक का नाम	खाते का प्रकार (बचत खाता / ऋण खाता)	खाता संख्या	आई0 एफ0 एस0 सी0

(बैंक ऋण होने की स्थिति में अनुदान की राशि ऋण खाते में ही देय होगी इसलिए ऋण खाते की विवरणी दें।)

तिथि/...../...../

आवेदक का हस्ताक्षर

(अनुदान राशि प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम, आई0 डी0 संख्या, हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)



प्रपत्र-7 (भाग "क")

जिला पशुपालन कार्यालय,

"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में 20 बकरी+1 बकरा ,40 बकरी +2 बकरा एवं 100 बकरी +5 बकरा की क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना के तहत

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए लाभुक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का जाँच पत्र

लाभुक के बकरी फार्म इकाई की क्षमता : (क) 20 बकरी+01 बकरा (ख) 40 बकरी+02 बकरा
(ग) 100 बकरी+5 बकरा

लाभुक द्वारा अनुदान राशि की : -प्रथम किस्त / द्वितीय किस्त हेतु प्रपत्र 6 प्राप्त।(सही बॉक्स में ✓लगायें)

आई0 डी0 संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/पशुपालन निदेशालय के स्वीकृति पत्र संख्या

.....दिनांक के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री

.....पिता/पति का नाम :-कोटि :

.....ग्राम : पोस्ट :

थाना : प्रखंड:जिला :पिन कोड :

..... द्वारा अनुदान की राशि की प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त (जो लागू न हो उसे काट दें) के भुगतान के लिए समर्पित आवेदन (प्रपत्र - 06)/दावा के आलोक में लाभुक के द्वारा स्वलागत / बैंक ऋण से स्थापित बकरी फार्म (20 बकरी + 01 बकरा, 40 बकरी + 02 बकरा एवं 100 बकरी + 05 बकरा) के आधारभूत संरचना / क्रय किये गये बकरी - बकरा (जो लागू न हो उसे काट दें) की स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि लाभुक द्वारा-

- 20 बकरी + 01 बकरा के बकरी फार्म का आधारभूत संरचना का निर्माण / 20 बकरी + 01 बकरा का क्रय कर लिया गया है ।(अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न)
- 40 बकरी + 02 बकरा के बकरी फार्म का आधारभूत संरचना का निर्माण / 40 बकरी + 02 बकरा का क्रय कर लिया गया है । (अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न)
- 100 बकरी + 05 बकरा के बकरी फार्म का आधारभूत संरचना का निर्माण / 100 बकरी + 05 बकरा का क्रय कर लिया गया है (अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न) (उपयुक्त में जो लागू हो उसके सामने के बॉक्स में , का चिन्ह लगायें।)



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



अनुदान की राशि प्राप्ति हेतु राशि एवं बैंक की विवरणी :-

स्वीकृत अनुदान की राशि	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार (बचत खाता / ऋण खाता)	आई0 एफ0 एस0 सी0

(बैंक ऋण होने की स्थिति में अनुदान की राशि ऋण खाते में ही देय होगी इसलिए ऋण खाते की विवरणी दें।)

लाभुक श्री / श्रीमती / सुश्री को उर्पयुक्त विवरणी के अनुसार अनुदान राशि (प्रथम किस्त / द्वितीय किस्त) (जो लागू न हो उसे काट दें) रुपये (अंक में), रुपये (शब्दों में) का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है / अनुदान भुगतान निम्नलिखित कारणों से लंबित रखने / अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

अग्रगण्य पशु चिकित्सा
पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक
कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल
पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य
चिकित्सक (जो भी वरीय हो)

जिला पशुपालन पदाधिकारीका
हस्ताक्षर एवं मुहर।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पशुपालन पदाधिकारी

क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय उपयोग हेतु :



प्रपत्र-7 (भाग "ख")

क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय

उपर्युक्त त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण- सह- जाँच समिति द्वारा अनुदान हेतु जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र-7, भाग "क") एवं प्रमाण स्वरूप संलग्न बकरी फार्म के आधारभूत संरचना/निरीक्षण पदाधिकारी एवं लाभुक का फोटोग्राफ से सहमत होते हुए अनुदान भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करता हूँ/निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं किया जा सकता है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें).....

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन



अनुलग्नक :- 1

Project Report for Establishment of Goat Farm(20 Goat+ 1 Buck)

A. Non - Recurring Expenditure :-

(I) Floor space for shed Construction

1- 20 Goat x 12 Sq. ft.	=	240 Sq. ft.
2- 1 Buck x 15 Sq. ft.	=	15 Sq. ft.
3- 40 Kid x 8 Sq. ft.	=	820 Sq. ft.
(Upto age of 10-12 Months)		_____
Total =575 Sq. ft.		

Cost of construction of shed (Bricks work, Thick Wire-net with Asbestos roof)

@ Rs. 225/ Sq. ft. (225 x 575 Sq. ft. Floor space) = 130,000=00

(II) Cost of breedable Goat/ Buck

1- Cost of breedable goat (Body wt. 16 Kg.) 20 nos.

@ Rs. 5000/- Goat x20 = 100,000=00

2- Cost of 5 breedable Buck (Body wt. 20 Kg.)

@ Rs. 6000/- Buck x 1 = 6,000=00

(III) Cost of Insurance (@5%=Rs. 5300 approx.) = 6000 =00

Total = 2,42,000=00

Subsidy @ 50% (General) 121000=00

Subsidy @60% (SC/ST) 145000=00



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



B. Recurring Expenditure:-

1- Feeding of 21 nos. of Goat & Buck for 12 Months

@ 300 gm/day/goat or buck @ Rs. 22/ Kg. of conc.

Feed. 21 X 0.3kg. X 365 =2299.5 Kg. or 2300 Kg x 22 = 50600=00

2- Cost of Medicine @ Rs. 150/ Animal = 3150=00

3- Cost of feeding equipments and ropes etc. = 6300=00

(@ Rs 300/ Animal x 21)

Total 60050=00

or, 60000=00

Non-Recurring Expenditure	Rs. 242,000/-	50 % subsidy (Rs 1.21 lakh for General) 60% subsidy (Rs. 1.45 lakh for SC/ST)
Recurring Expenditure	Rs. 60000/-	To be borne by the beneficiary

Note :- The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials.



अनुलग्नक :- 2

Project Report for Establishment of Goat Farm(40 Goat+ 2 Buck)

A. Non - Recurring Expenditure :-

(I)Floor space for shed Construction

1- 40 Goat x 12 Sq. ft.	=	480 Sq. ft.
2- 2 Buck x 15 Sq. ft.	=	30 Sq. ft.
3- 80 Kid x 8 Sq. ft.	=	640 Sq. ft.
(Upto age of 10-12 Months)		_____
Total =		1150 Sq. ft.

Cost of construction of shed (Bricks work, Thick Wire-net with Asbestos roof)

@ Rs. 225/ Sq. ft. (225 x 1150 Sq. ft. Floor space) = 259000=00

(II)Cost of breedable Goat/ Buck

1- Cost of breedable goat (Body wt. 16 Kg.) 40 nos.

@ Rs. 5000/- Goat x 40 = 2,00,000=00

2- Cost of 2 breedable Buck (Body wt. 20 Kg.)

@ Rs. 6000/- Buck x 2 = 12,000=00

(III) Cost of Insurance(@5%=Rs. 10600 approx.) = 11000 =00

(IV) Cost of green fodder production

@Rs. 10000/acre/crop

(for Kharif &Rabi crop) annually for 5 years

for production in 50dismil [5000x2x5] = 50,000=00

Total = 532,000=00

Subsidy @ 50% (General) 266000=00

Subsidy @60% (SC/ST) 319000=00



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



B. Recurring Expenditure:-

1- Feeding of 105 nos. of Goat & Buck for 12 Months

@ 300 gm/day/goat or buck @ Rs. 22/ Kg. of conc.

Feed. 42 X 0.3kg. X 365 =4599 Kg. or 4600 Kg x 22 = 101200=00

2- Cost of Medicine @ Rs. 150/ Animal = 6300=00

3- Cost of feeding equipments and ropes etc. = 12600=00

(@ Rs 300/ Animal x 42)

Total 120100=00

or, 120000=00

Non-Recurring Expenditure	Rs. 532,000/-	50 % subsidy (Rs 2.66 lakh for General) 60% subsidy (Rs. 3.19 lakh for SC/ST)
Recurring Expenditure	Rs. 120000/-	To be borne by the beneficiary

Note :- The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials



अनुलग्नक:- 3

Project Report for Establishment of Goat Farm(100 Goat+5Buck)

A. Non - Recurring Expenditure :-

(I)Floor space for shed Construction

1- 100 Goat x 12 Sq. ft.	=	1200 Sq. ft.
2- 5 Buck x 15 Sq. ft.	=	75 Sq. ft.
3- 200 Kid x 8 Sq. ft.	=	1600 Sq. ft.

(Upto age of 10-12 Months)

Total = 2875 Sq. ft.

Cost of construction of shed (Bricks work, Thick Wire-net with Asbestos roof)

@ Rs. 225/ Sq. ft. (225 x 2875 Sq. ft. Floor space) = 647,000=00

(II)Cost of breedable Goat/ Buck

1- Cost of breedable goat (Body wt. 20 Kg.) 100 nos.

@ Rs. 5000/- Goat x100 = 5,00,000=00

2- Cost of 5 breedable Buck

@ Rs. 6000/- Buck x 5 = 30,000=00

(III) Cost of Insurance @5% =Rs. 26500approx.

= 27000 =00

(IV) Cost of green fodder production

@Rs. 10000/acre/crop

for Kharif &Rabi crop annually

for 5 years [10000x2x5] = 100,000=00

Total = 13,04,000=00

Subsidy @ 50% (General) 652000=00

Subsidy @60% (SC/ST) 782000=00



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



B. Recurring Expenditure:-

1- Feeding of 105 nos. of Goat & Buck for 12 Months

@ 300 gm/day/goat or buck @ Rs. 22/ Kg. of conc.

Feed. 105 X 0.3kg. X 365 =11497.5 Kg. or 11500 Kg x 22 = 2,53000=00

2- Cost of Medicine @ Rs. 150/ Animal = 15,750=00

3- Cost of feeding equipments and ropes etc. = 31500=00

(@ Rs 300/ Animal x 105)

Total 300250=00

or, 300000=00

Non-Recurring Expenditure	Rs. 13,04,000/-	50 % subsidy (Rs 6.52 lakh for General) 60% subsidy (Rs. 7.82 lakh for SC / ST)
Recurring Expenditure	Rs. 300000/-	To be borne by the beneficiary

Note :- The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials.